



2026:AHC:19398

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 1296/2026

आकाश चौहान

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अंकित शुक्ल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रामेंद्र पाल सिंह को सुना और प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 282/2025, धारा 8/21/29/60 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस. एक्ट), 1985, थाना जाफराबाद, जिला जौनपुर में पंजीकृत प्रकरण में, जमानत पर अवमुक्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक के कब्जे से लगभग 150 ग्राम हेरोइन बरामद होने का आरोप है, जो कि व्यावसायिक मात्रा से कम है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए प्रकरण में उसे झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 42 और 50 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने में विफल रहा है। रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 09.12.2025 से जेल में है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। जमानत पर अवमुक्त होने की स्थिति में आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विचारण पूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, जो प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में संलिप्त है, इसलिए आवेदक किसी कृपा का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर अवमुक्त किया जाता है, तो वह पुनः इसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त होगा।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक, **आकाश चौहान**, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी धनराशि के दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/धमकाकर अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए गंभीरता से विचारण में सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा। बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

28 जनवरी, 2026

पी.के.एस.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।